



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2010/चैत्र 26, 1932

No. 96]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2010/CHAITRA 26, 1932

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2010

सं. एल-1/9/2009-केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 (2)(द) के साथ पठित धारा 65 (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ और प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की संगणना करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2010 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये विनियम उन सभी मामलों को लागू होंगे जहाँ आयोग द्वारा गैर-पारम्परिक स्रोतों से भिन्न आधार पर टैरिफ का अवधारण किया जाता है।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), जिसमें इसके संशोधन भी सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है;

(ख) “आवेदक” से ऐसी उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञापितधारी अभिप्रेत है जिसने अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन किया है;

(ग) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए “आस्तियों” में (i) उत्पादन कंपनी की बाबत ऐसे उत्पादन केन्द्र का संपूर्ण या उसका भाग; और (ii) पारेषण अनुज्ञापितधारी की दशा में, पारेषण प्रणाली का संपूर्ण या उसका भाग या पारेषण लाइन या उप-केन्द्र सम्मिलित है जिसके टैरिफ का अवधारण, आयोग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2009 जिसमें ऐसे पश्चातवर्ती विनियम भी सम्मिलित हैं जो अधिनियम की धारा 61 के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अनुसार किया जाता है।

निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2009 जिसमें ऐसे पश्चातवर्ती विनियम भी सम्मिलित हैं जो अधिनियम की धारा 61 के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अनुसार किया जाता है।

(घ) "संपरीक्षक" से, यथास्थिति, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224, 233ख तथा 619 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत अकाउंटेंट का व्यवसाय करने वाला या संपरीक्षा करने के लिए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत अकाउंटेंट की फर्म अभिप्रेत है।

(ङ) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(च) "टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व" से समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2009, जिसमें ऐसे पश्चातवर्ती विनियम भी सम्मिलित हैं जो अधिनियम की धारा 61 के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अनुसार तकनीकी तथा वाणिज्यिक युक्तियुक्तता पर निर्धारित तथा पिछले कार्य-निष्पादन के आधार पर, यथास्थिति, उत्पादन या पारेषण के कारबार से आवेदक को प्रोद्भूत राजस्व प्राक्कलन अभिप्रेत है;

(छ) "प्ररूप" से आयोग द्वारा अवधारित प्रत्याशित राजस्व तथा प्रभारों की बाबत उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जानकारी देने के प्रयोजन के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;

(ज) "अन्य कारबार" से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी आस्तियों के अनुकूलतम उपयोग के लिए अधिनियम की धारा 41 के अधीन किया गया कोई अन्य कारबार अभिप्रेत है;

(2) ये विनियम समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2009, जिसमें ऐसे विनियम भी सम्मिलित हैं जो भविष्य में अधिनियम की धारा 61 के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के उपबंधों के अनुसार उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफों तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की संगणना करने के लिए ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करने की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगे।

(3) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं हैं, का ही अर्थ होगा जो अधिनियम, नियम तथा इसके अधीन बनाए गए विनियमों में है।

अध्याय-2

जानकारी का दिया जाना तथा टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की संगणना

3. जानकारी का दिया जाना : (1) प्रत्येक आवेदक आयोग द्वारा, समय-समय पर, अवधारित टैरिफों तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की बाबत प्ररूपों में जानकारी देगा।

(2) प्ररूप प्रत्येक वर्ष के 30 नवम्बर को या उससे पूर्व शपथपत्र के साथ वार्षिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे जिसमें पूर्व वित्तीय वर्ष, वर्तमान वित्तीय वर्ष तथा आगामी वित्तीय वर्ष की वित्तीय स्थिति अंतर्विष्ट होगी :

परंतु यह कि पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप उस वर्ष के संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर होंगे, चालू वित्तीय वर्ष के पहले आधे के लिए 30 सितम्बर तक लेखाओं के अंतिम विवरणों के आधार पर होंगे तथा चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे आधे के लिए तथा आगामी वर्ष के लिए शपथपत्र के साथ सम्यक् रूप से प्रमाणित अनंतिम/प्राक्कलित आंकड़ों के आधार पर होंगे :

परंतु यह और कि चालू वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर के पश्चात् चालू आस्तियों की बाबत जानकारी उनके वाणिज्यिक प्रचालन के 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(3) प्ररूपों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, न्यूनतम अपेक्षा के रूप में निम्नलिखित का अनुपालन किया जाएगा :

- (i) उत्पादन कंपनी ईंधन उपलब्धता, अनुसूचित रखरखाव तथा आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रचालन संनियमों के आधार पर अपनी उपलब्धता की भविष्यवाणी करेगी।
- (ii) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पारेषण प्रभारों, निर्बाध पहुंच प्रभारों तथा अन्य प्रभारों का प्राक्कलन करेगा।

(4) आयोग ऐसी प्रक्रियाएं स्वीकार कर सकेगा, तथा ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो इन विनियमों के अधीन पारेषण कंपनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत आंकड़े की विधिमान्यता तथा आंकड़े के संबंध में दिए गए पूर्वानुमानों का विश्लेषण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

अध्याय 3

प्रकीर्ण

4. आवेदन फीस : केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आवेदक से इन विनियमों के अधीन जानकारी प्रस्तुत करते समय, आयोग को आवेदन फीस का संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5. जानकारी का प्रकटन : उत्पादन कंपनियों तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों से प्ररूपों में प्राप्त जानकारी को आयोग की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

6. शिथिल करने की शक्ति : आयोग लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध को स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष किए गए आवेदन के आधार पर, शिथिल कर सकेगा।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./150/10]

परिशिष्ट-1 (पृष्ठ 5 से पृष्ठ 16 तक)

प्ररूप संख्या 1 : थर्मल

उपयोगिता का नाम :

(क) संयंत्र का नाम :

प्रक्रम :

क्रम सं.	विशिष्टियां	यूनिट	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष (अप्रैल-सितम्बर)	चालू वर्ष (अक्तूबर-मार्च)	आगामी वर्ष
1क	वास्तविक/प्रत्याशित उपलब्धता	%				
1ख	वास्तविक/प्रत्याशित सहायक ऊर्जा खपत	%				
2क	क्षमता प्रभारों की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली जिसमें प्रोत्साहन भी है	रुपए करोड़				
2ख	रिटर्न ऑन इक्विटी की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़				
2ग	प्रोत्साहन की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़				
3	वास्तविक/प्रत्याशित अनुसूचित उत्पादन	एमयू				
4	यथा लागू कोयला/लिंगनाइट/एपीएम गैस/आरएलएनजी/द्रव ईंधन से वास्तविक/प्रत्याशित ऊर्जा दर	पैसा/केडब्ल्यूएच				
5क	ऊर्जा प्रभारों की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़				
5ख	तय की गई वास्तविक/प्रत्याशित ईंधन कीमत	रुपए/...				
6क	वास्तविक यूआई उत्पादन	एमयू				
6ख	वास्तविक यूआई दर	पैसा/केडब्ल्यूएच				
6ग	यूआई से वास्तविक राजस्व	रुपए करोड़				

(ख) संयंत्र का नाम :
प्रक्रम :

क्रम सं.	विशिष्टियां	यूनिट	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष (अप्रैल- सितम्बर)	चालू वर्ष (अक्तूबर- मार्च)	आगामी वर्ष
1क	वास्तविक/प्रत्याशित उपलब्धता	%				
1ख	वास्तविक/प्रत्याशित सहायक ऊर्जा खपत	%				
2क	क्षमता प्रभारों की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली जिसमें प्रोत्साहन भी है	रुपए करोड़				
2ख	रिटर्न ऑन इक्विटी की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़				
2ग	प्रोत्साहन की वास्तविक/ प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़				
3	वास्तविक/प्रत्याशित अनुसूचित उत्पादन	एमयू				
4	यथा लागू कोयला/ लिग्नाइट/एपीएम गैस/ आरएलएनजी/द्रव ईंधन से वास्तविक/प्रत्याशित ऊर्जा दर	पैसा/ केडब्ल्यूएच				
5क	ऊर्जा प्रभारों की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़				
5ख	तय की गई वास्तविक/ प्रत्याशित ईंधन कीमत	रुपए/...				
6क	वास्तविक यूआई उत्पादन	एमयू				
6ख	वास्तविक यूआई दर	पैसा/ केडब्ल्यूएच				
6ग	यूआई से वास्तविक राजस्व	रुपए करोड़				

(.....)

(.....) जोड़

1404 GI/10-2

			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1क	वास्तविक/प्रत्याशित उपलब्धता	%					
1ख	वास्तविक/प्रत्याशित सहायक ऊर्जा खपत	%					
2क	क्षमता प्रभारों की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली जिसमें प्रोत्साहन भी है	रुपए करोड़					
2ख	रिटर्न ऑन इक्विटी की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़					
2ग	प्रोत्साहन की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़					
3	वास्तविक/प्रत्याशित अनुसूचित उत्पादन	एमयू					
4	यथा लागू कोयला/ लिग्नाइट/एपीएम गैस/ आरएलएनजी/द्रव ईंधन से वास्तविक/प्रत्याशित ऊर्जा दर	पैसा/ केडब्ल्यूएच					
5क	ऊर्जा प्रभारों की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़					
5ख	तय की गई वास्तविक/प्रत्याशित ईंधन कीमत	रुपए/...					
6क	वास्तविक यूआई उत्पादन	एमयू					
6ख	वास्तविक यूआई दर	पैसा/ केडब्ल्यूएच					
6ग	यूआई से वास्तविक राजस्व	रुपए करोड़					

उपयोगिता के लिए अनुदेश

- (1) सीडी/फ्लापी डिस्क के रूप में इलेक्ट्रिक प्रति भी दी जाएगी।
- (2) ये प्ररूप निर्देशात्मक हैं तथा उपयोगिता अपने लेखाओं के चार्ट की लाइन मदों का संरेखण कर सकेगा।
- (3) उत्पादन कंपनी प्रत्याशित उपलब्धता, अनुसूचित उत्पादन, औसत ऊर्जा प्रभार दर, प्रत्याशित यूआई मात्रा तथा यूआई दर के प्राक्कलन के लिए विस्तृत न्यायोचित्य प्रस्तुत करेगा।

- (4) आवेदक पूर्वानुमान के समर्थन में पूर्ण ब्यौरे प्रदान करेगा जिसमें पिछले कार्य-निष्पादन के ब्यौरे सम्मिलित हैं किन्तु वे इस तक ही सीमित नहीं होंगे, दक्षता या उत्पादकता लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित पहल, तकनीकी अध्ययन, संविदागत ठहराव और/या गौण अनुसंधान, पूर्वानुमान की युक्तियुक्तता का निर्धारण करने के लिए आयोग को समर्थ बनाने के लिए पूर्व ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।
- (5) पूर्व वर्ष तथा चालू वर्ष के अप्रैल से सितम्बर तक के लिए प्रस्तुत जानकारी वास्तविक आधार पर होगी तथा आगामी वर्ष तथा चालू वर्ष के अक्टूबर से मार्च के लिए प्राक्कलित आधार पर दी जाएगी।
- (6) अनंतिम/प्राक्कलित जानकारी को प्रमाणित करने वाले संपरीक्षक की जिम्मेदारी गणितीय शुद्धता की विधिमान्यता तथा प्राक्कलन के लिए तय पूर्वानुमानों तक ही होगी।

प्ररूप संख्या 2 : हाइड्रो

उपयोगिता का नाम :

(क) संयंत्र का नाम :

प्रक्रम :

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	यूनिट	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष (अप्रैल- सितम्बर)	चालू वर्ष (अक्टूबर- मार्च)	आगामी वर्ष
1क	वास्तविक/प्रत्याशित उपलब्धता	%				
1ख	वास्तविक/प्रत्याशित सहायक ऊर्जा खपत	%				
2क	क्षमता प्रमारों की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली जिसमें प्रोत्साहन भी है	रुपए करोड़				
2ख	रिटर्न ऑन इक्विटी की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़				
2ग	प्रोत्साहन की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़				
3	वास्तविक/प्रत्याशित अनुसूचित उत्पादन	एमयू				
4	वास्तविक/प्रत्याशित ऊर्जा दर	पैसा/ केडब्ल्यूएच				
5	ऊर्जा प्रमारों की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़				
6क	वास्तविक यूआई उत्पादन	एमयू				
6ख	वास्तविक यूआई दर	पैसा/ केडब्ल्यूएच				
6ग	यूआई से वास्तविक राजस्व	रुपए करोड़				

(ख) संयंत्र का नाम :

प्रक्रम :

क्रम सं.	विशिष्टियां	यूनिट	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष (अप्रैल- सितम्बर)	चालू वर्ष (अक्टूबर- मार्च)	आगामी वर्ष
1क	वास्तविक/प्रत्याशित उपलब्धता	%				
1ख	वास्तविक/प्रत्याशित सहायक ऊर्जा खपत	%				
2क	क्षमता प्रभारों की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली जिसमें प्रोत्साहन भी है	रुपए करोड़				
2ख	रिटर्न ऑन इक्विटी की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़				
2ग	प्रोत्साहन की वास्तविक/ प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़				
3	वास्तविक/प्रत्याशित अनुसूचित उत्पादन	एमयू				
4	वास्तविक/प्रत्याशित ऊर्जा दर	पैसा/ केडब्ल्यूएच				
5	ऊर्जा प्रभारों की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़				
6क	वास्तविक यूआई उत्पादन	एमयू				
6ख	वास्तविक यूआई दर	पैसा/ केडब्ल्यूएच				
6ग	यूआई से वास्तविक राजस्व	रुपए करोड़				

(.....) जोड़

क्रम सं.	विशिष्टियां	यूनिट	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष (अप्रैल- सितम्बर)	चालू वर्ष (अक्टूबर- मार्च)	आगामी वर्ष
1क	वास्तविक/प्रत्याशित उपलब्धता	%				
1ख	वास्तविक/प्रत्याशित सहायक ऊर्जा खपत	%				
2क	क्षमता प्रभारों की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली जिसमें प्रोत्साहन भी है	रुपए करोड़				
2ख	रिटर्न ऑन इक्विटी की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़				
2ग	प्रोत्साहन की वास्तविक/ प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़				
3	वास्तविक/प्रत्याशित अनुसूचित उत्पादन	एमयू				
4	वास्तविक/प्रत्याशित ऊर्जा दर	पैसा/ केडब्ल्यूएच				
5	ऊर्जा प्रभारों की वास्तविक/प्रत्याशित वसूली	रुपए करोड़				
6क	वास्तविक यूआई उत्पादन	एमयू				
6ख	वास्तविक यूआई दर	पैसा/ केडब्ल्यूएच				
6ग	यूआई से वास्तविक राजस्व	रुपए करोड़				

उपयोगिता के लिए अनुदेश

- (1) सीडी/फ्लापी डिस्क के रूप में इलेक्ट्रिक प्रति भी दी जाएगी।
- (2) ये प्ररूप निर्देशात्मक हैं तथा उपयोगिता अपने लेखाओं के चार्ट की लाइन मदों का संरेखण कर सकेगा।
- (3) उत्पादन कंपनी प्रत्याशित उपलब्धता, अनुसूचित उत्पादन, औसत ऊर्जा प्रभार दर, प्रत्याशित यूआई मात्रा तथा यूआई दर के प्राक्कलन के लिए विस्तृत न्यायोचित्य प्रस्तुत करेगा।
- (4) आवेदक पूर्वानुमान के समर्थन में पूर्ण ब्यौरे प्रदान करेगा जिसमें पिछले कार्य-निष्पादन के ब्यौरे सम्मिलित हैं किन्तु वे इस तक ही सीमित नहीं होंगे, दक्षता या उत्पादकता

1404 GI/10-3

आगामी वर्ष में प्रस्तावित टैरिफों तथा अन्य प्रभारों से राजस्व

क्रम सं.	विशिष्टियां	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	वास्तविक उपलब्धता	सहायक ऊर्जा खपत	क्षमता प्रभारों जिसमें प्रोत्साहन भी है, की वास्तविक वसूली	रिटर्न ऑन इक्विटी की वास्तविक वसूली	प्रोत्साहन की वास्तविक वसूली	निर्बाध पहुंच प्रभारों का वास्तविक राजस्व	अन्य स्रोतों से वास्तविक राजस्व
क	यूनिट		%	%	रुपए करोड़	रुपए करोड़	रुपए करोड़	रुपए करोड़	रुपए करोड़
1	क्षेत्र								
2	आस्ति 1								
3	आस्ति 2								
4	आस्ति 3								
5	आस्ति 4								
	उप-योग(क)								
ख	क्षेत्र								
	कुल (क+ख+ग+...)								

उपयोगिता के लिए अनुदेश

- (1) सीडी/फ्लापी डिस्क के रूप में इलेक्ट्रिक प्रति भी दी जाएगी।
- (2) ये प्ररूप निर्देशात्मक हैं तथा उपयोगिता अपने लेखाओं के चार्ट की लाइन मदों का संरेखण कर सकेगा।
- (3) उत्पादन कंपनी प्रत्याशित उपलब्धता, अनुसूचित उत्पादन, औसत ऊर्जा प्रभार दर, प्रत्याशित यूआई मात्रा तथा यूआई दर के प्राक्कलन के लिए विस्तृत न्यायोचित्य प्रस्तुत करेगा।
- (4) आवेदक पूर्वानुमान के समर्थन में पूर्ण ब्यौरे प्रदान करेगा जिसमें पिछले कार्य-निष्पादन के ब्यौरे सम्मिलित हैं किन्तु वे इस तक ही सीमित नहीं होंगे, दक्षता या उत्पादकता लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित पहल, तकनीकी अध्ययन, संविदागत उहराव और/या गौण अनुसंधान, पूर्वानुमान की युक्तियुक्तता का निर्धारण करने के लिए आयोग को समर्थ बनाने के लिए पूर्व ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।
- (5) पूर्व वर्ष तथा चालू वर्ष के अप्रैल से सितम्बर तक के लिए प्रस्तुत जानकारी वास्तविक आधार पर होगी तथा आगामी वर्ष तथा चालू वर्ष के अक्टूबर से मार्च के लिए प्राक्कलित आधार पर दी जाएगी।
- (6) अनंतिम/प्राक्कलित जानकारी को प्रमाणित करने वाले संपरीक्षक की जिम्मेदारी गणितीय शुद्धता की विधिमान्यता तथा प्राक्कलन के लिए तय पूर्वानुमानों तक ही होगी।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th April, 2010

No. L-1/9/2009-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 62(5) read with Section 178(2)(U) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER 1**PRELIMINARY**

1. **Short title, commencement and applicability.** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Procedures for calculating the expected revenue from tariffs and charges) Regulations, 2010.
- (2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These regulations shall apply in all cases where tariff other than those based on non-conventional energy sources is determined by the Commission.

2. Definitions

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires—
 - (a) 'Act' means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including the amendments thereto;

1404 G2/10-4

- (b) **'Applicant'** means a generating company or transmission licensee who has made an application for determination of tariff in accordance with the Act and Regulations made thereunder;
- (c) **'assets'** for the purpose of these regulations include (i) in respect of the generating company, the whole or part of the generating station; and (ii) in case of transmission licensee, the whole or part of the transmission system or the transmission line or the sub-station for which tariff is determined by the Commission in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009 and as amended from time to time including any subsequent regulations as may be specified by the Commission under Section 61 of the Act.
- (d) **'auditor'** means a practicing chartered accountant or cost accountant or a firm of chartered accountants or cost accountants, qualified to carry out audit in accordance with the provisions of sections 224, 233B and 619 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any other law for the time being in force, as the case may be;
- (e) **'Commission'** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of section 76 of the Act;
- (f) **'Expected revenue from Tariffs and Charges'** means the revenue estimated to accrue to the applicant, assessed on technical and commercial reasonableness and based on past performances, from the business of generation or transmission, as the case may be, in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009 as amended from time to time including any subsequent regulation as may be specified by the Commission under Section 61 of the Act.
- (g) **"Formats"** mean the formats specified in Appendix-I to these regulations for the purpose of submission of information by the generating

company or transmission licensee in respect of expected revenues and charges determined by the Commission.

(h) **'Other Business'** means any business engaged in by a transmission licensee under Section 41 of the Act for optimum utilization of its assets;

(2) These regulations shall be in addition to the requirements to comply with such procedures for calculating the expected revenues from tariffs and charges by the generating company or transmission licensee in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009, as amended from time to time including any regulations as may be specified by the Commission under Section 61 of the Act in future.

(3) Words and expressions used in these regulations and not defined shall have the meaning assigned to them in the Act, rules or regulations made thereunder.

CHAPTER 2

SUBMISSION OF INFORMATION AND CALCULATION OF EXPECTED REVENUE FROM TARIFF AND CHARGES

3. **Submission of information.** (1) Every applicant shall submit information in the formats in respect of expected revenue from tariffs and charges determined by the Commission from time to time.

(2) The formats shall be submitted annually under affidavit on or before 30th November of each year containing the financial position for the previous financial year, current financial year and the ensuing financial year.

Provided that the formats for the previous financial year shall be based on the audited financial statements of that year; for the first half of the current financial year shall be based on finalised statements of accounts up to 30th September and for the second half of the current financial year and the ensuing year shall be based on provisional/estimated figures duly certified through an affidavit.

Provided further that the information in respect of the assets commissioned after 30th September of the current financial year shall be submitted within 90 days of their commercial operation.

(3) While submitting the information in the formats, the following shall be complied with as a minimum requirement:

(i) The generating company shall forecast its availability based on the fuel availability, scheduled maintenance and operating norms as specified by the Commission.

(ii) The transmission licensee shall estimate the transmission charges, open access charges, and other charges as specified by the Commission.

(4) The Commission may adopt such procedures and issue such directions as may be considered necessary for the purpose of validation of data and analysis of the underlying assumptions of the data submitted by the generating company and transmission licensee under these regulations.

CHAPTER 3

MISCELLANEOUS

4. **Application fees.** Notwithstanding anything contained in the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fee) Regulations, 2008, the applicant, while submitting the information under these regulations, shall not be required to pay application fees to the Commission.

5. **Display of information.** The information received in the formats from the generating companies and transmission licensees shall be posted on the website of the Commission.

6. **Power to relax.** The Commission may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by any interested person.

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT III/4/Exty./150/10]

APPENDIX-I (from page 6 to 16)

Form No. 1: Thermal

Name of Utility:

(A) Name of Plant:

Stage:

S. No	Particulars	Unit	Previous Year	Current Year (Apr-Sep)	Current Year (Oct-Mar)	Ensuin g Year
1a	Actual/Expected Availability	%				
1b	Actual/Expected Auxiliary Energy Consumption	%				
2a	Actual/Expected recovery of Capacity Charge including incentive	Rs Cr				
2b	Actual/Expected recovery of Return on Equity	Rs Cr				
2c	Actual/Expected recovery of Incentive	Rs Cr				
3	Actual/Expected Scheduled generation	MU				
4	Actual/Expected energy rate from Coal/Lignite/APM gas/R-LNG/Liquid fuel as applicable	Paise/kWh				
5a	Actual/Expected recovery of Energy Charges	Rs Cr				
5b	Actual/Expected Fuel Price considered	Rs/...				
6a	Actual UI generation	MU				
6b	Actual UI rate	Paise/kWh				
6c	Actual revenue from UI	Rs Cr				

1404 GI/10-5

(B) Name of Plant:**Stage:**

S. No	Particulars	Unit	Previous Year	Current Year (Apr-Sep)	Current Year (Oct-Mar)	Ensuing Year
1a	Actual/Expected Availability	%				
1b	Actual/Expected Auxiliary Energy Consumption	%				
2a	Actual/Expected recovery of Capacity Charge including incentive	Rs Cr				
2b	Actual/Expected recovery of Return on Equity	Rs Cr				
2c	Actual/Expected recovery of Incentive	Rs Cr				
3	Actual/Expected Scheduled generation	MU				
4	Actual/Expected energy rate from Coal/Lignite/APM gas/R-LNG/Liquid fuel as applicable	Paise/kWh				
5a	Actual/Expected recovery of Energy Charges	Rs Cr				
5b	Actual/Expected Fuel Price considered	Rs/...				
6a	Actual UI generation	MU				
6b	Actual UI rate	Paise/kWh				
6c	Actual revenue from UI	Rs Cr				

(....)

(....) Total

			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1a	Actual/Expected Availability	%					
1b	Actual/Expected Auxiliary Energy Consumption	%					
2a	Actual/Expected recovery of Capacity Charge including incentive	Rs Cr					
2b	Actual/Expected recovery of Return on Equity	Rs Cr					
2c	Actual/Expected recovery of Incentive	Rs Cr					
3	Actual/Expected Scheduled generation	MU					
4	Actual/Expected energy rate from Coal/Lignite/APM gas/R-LNG/Liquid fuel as applicable	Paise/kWh					
5a	Actual/Expected recovery of Energy Charges	Rs Cr					
5b	Actual/Expected Fuel Price considered	Rs/...					
6a	Actual UI generation	MU					
6b	Actual UI rate	Paise/kWh					
6c	Actual revenue from UI	Rs Cr					

Instructions for the Utility:

- 1) Electronic copy in the form of CD/ Floppy Disc shall also be furnished.
- 2) These formats are indicative in nature and the utility may align the line items to its chart of accounts
- 3) Generating Company shall furnish the detailed justification for the estimation of expected availability, scheduled generation, average energy charge rate, expected UI volume and UI rate.
- 4) The applicant shall provide full details supporting the forecast, including but not limited to details of past performance, proposed initiatives for achieving efficiency or productivity gains, technical studies, contractual arrangements and / or secondary research, to enable the Commission to assess the reasonableness of the forecast.

- 5) Information furnished for the previous year and April to September of the current year shall be on actual basis and for ensuing year and October to March of the current year shall be on estimated basis.
- 6) The responsibility of the auditor certifying the provisional/estimated information shall be to the extent of validation of arithmetical accuracy and the assumptions considered for estimation.

Form No. 2: Hydro

Name of Utility:

(A) Name of Plant:

Stage:

S. No	Particulars	Unit	Previous Year	Current Year (Apr-Sep)	Current Year (Oct-Mar)	Ensuing Year
1a	Actual/Expected Availability	%				
1b	Actual/Expected Auxiliary Energy Consumption	%				
2a	Actual/Expected recovery of Capacity Charge including incentive	Rs Cr				
2b	Actual/Expected recovery of Return on Equity	Rs Cr				
2c	Actual/Expected recovery of Incentive	Rs Cr				
3	Actual/Expected Scheduled generation	MU				
4	Actual/Expected energy rate	Paise/kWh				
5	Actual/Expected recovery of Energy Charges	Rs Cr				
6a	Actual UI generation	MU				
6b	Actual UI rate	Paise/kWh				
6c	Actual revenue from UI	Rs Cr				

**B. Name of Plant:
Stage:**

S. No	Particulars	Unit	Previous Year	Current Year (Apr-Sep)	Current Year (Oct-Mar)	Ensuing Year
1a	Actual/Expected Availability	%				
1b	Actual/Expected Auxiliary Energy Consumption	%				
2a	Actual/Expected recovery of Capacity Charge including incentive	Rs Cr				
2b	Actual/Expected recovery of Return on Equity	Rs Cr				
2c	Actual/Expected recovery of Incentive	Rs Cr				
3	Actual/Expected Scheduled generation	MU				
4	Actual/Expected energy rate	Paise/kWh				
5	Actual/Expected recovery of Energy Charges	Rs Cr				
6a	Actual UI generation	MU				
6b	Actual UI rate	Paise/kWh				
6c	Actual revenue from UI	Rs Cr				

(.....) **Total**

(.....)

1404 GI/10-6

S. No	Particulars	Unit	Previous Year	Current Year (Apr-Sep)	Current Year (Oct-Mar)	Ensuing Year
1a	Actual/Expected Availability	%				
1b	Actual/Expected Auxiliary Energy Consumption	%				
2a	Actual/Expected recovery of Capacity Charge including incentive	Rs Cr				
2b	Actual/Expected recovery of Return on Equity	Rs Cr				
2c	Actual/Expected recovery of Incentive	Rs Cr				
3	Actual/Expected Scheduled generation	MU				
4	Actual/Expected energy rate	Paise/kWh				
5	Actual/Expected recovery of Energy Charges	Rs Cr				
6a	Actual UI generation	MU				
6b	Actual UI rate	Paise/kWh				
6c	Actual revenue from UI	Rs Cr				

Instructions for the Utility:

- 1) Electronic copy in the form of CD/ Floppy Disc shall also be furnished.
- 2) These formats are indicative in nature and the utility may align the line items to its chart of accounts.
- 3) Generating Company shall furnish the detailed justification for the estimation of expected availability, scheduled generation, average energy charge rate, expected UI volume and UI rate.
- 4) The applicant shall provide full details supporting the forecast, including but not limited to details of past performance, proposed initiatives for achieving efficiency or productivity gains, technical studies, contractual arrangements and / or secondary research, to enable the Commission to assess the reasonableness of the forecast.

- 5) Information furnished for the previous year and April to September of the current year shall be on actual basis and for ensuing year and October to March of the current year shall be on estimated basis.
- 6) The responsibility of the auditor certifying the provisional/estimated information shall be to the extent of validation of arithmetical accuracy and the assumptions considered for estimation.

Form No. 3: Transmission

Name of Utility:
(A) Name of Plant:

Stage:

Revenue from Actual Tariffs & Other Charges in Previous Year

Sl. No.	Particulars	DOCO	Actual Availability	Auxiliary Energy Consumption	Actual recovery of Capacity Charge including incentive	Actual recovery of Return on Equity	Actual recovery of Incentive	Actual revenue of Open Access charges	Actual revenue from other sources e.g. Telecommunication
	Unit		%	%	Rs Cr	Rs Cr	Rs Cr	Rs Cr	Rs Cr
A	REGION								
1	Asset1								
2	Asset2								
3	Asset3								
4	Asset4								
5								
	SUB TOTAL(A)								
B	REGION								
	...								
	TOTAL (A+B+C+...)								

1404GI/10-7

Revenue from Proposed Tariffs & Other Charges in Ensuing Year									
Sl. No.	Particulars	DOCO	Expected Availability	Auxiliary Energy Consumption	Expected recovery of Capacity Charge including incentive	Expected recovery of Return on Equity	Expected recovery of Incentive	Expected revenue of Open Access charges	Expected revenue from other sources
	Unit		%	%	Rs Cr	Rs Cr	Rs Cr	Rs Cr	Rs Cr
A	REGION								
1	Asset1								
2	Asset2								
3	Asset3								
4	Asset4								
5								
	SUB TOTAL(A)								
B	REGION								
...									
	TOTAL (A+B+C+...)								

Instructions for the Utility:

- 1) Electronic copy in the form of CD/ Floppy Disc shall also be furnished
- 2) These formats are indicative in nature and the utility may align the line items to its chart of accounts
- 3) Transmission licensee shall furnish the detailed justification for the estimation of expected availability, expected Open access charges and expected revenue from other sources i.e. Telecommunication.
- 4) The applicant shall provide full details supporting the forecast, including but not limited to details of past performance, proposed initiatives for achieving efficiency or productivity gains, technical studies, contractual arrangements and / or secondary research, to enable the Commission to assess the reasonableness of the forecast.
- 5) Information furnished for the previous year and April to September of the current year shall be on actual basis and for ensuing year and October to March of the current year shall be on estimated basis.
- 6) The responsibility of the auditor certifying the provisional/estimated information shall be to the extent of validation of arithmetical accuracy and the assumptions considered for estimation.